# नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर में स्थित निम्नलिखित ठेकों का नीलाम दिनांक 30–03–2026 को समय दोपहर 1:00 बजे से सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर में निम्न प्रकार शुरू किया जायेगा।

नीलाम की एवं आवश्यक जानकारी कार्यालय नजारत अनुभाग सिविल कोर्ट नगीना जिला बिजनौर से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे सांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। नीलाम की शर्तें एवं आवश्यक जानकारी न्यायालय बिजनौर की बेवसाईट **www.e-courts.gov.in/ bijnor** पर भी प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर अपना पहचानपत्र एवं पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लेकर नीलाम में भाग ले सकते हैं। केवल नीलाम में भाग लेने वाला सदस्य ही न्यायालय परिसर, नगीना, में नीलाम हेतु उपस्थित रहेगा। नीलाम की शर्तें संलग्न हैं।

## नीलाम होने वाले ठेकों का विवरण व समय

| क्रम सं0 | नाम ठेका | समय |
|---|---|---|
| 1. | चाय व नाश्ते की कैन्टीन | अपराह्न समय 1:00 बजे से 2:00 बजे तक |
| 2. | साईकिल, स्कूटर आदि का स्टैण्ड | अपराह्न समय 3:00 बजे से 4:00 बजे तक |

दि0–25.03.2026

(अनुपम सिंह प्रथम)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/अपर जिला जज,
नगीना, जिला बिजनौर।

## नीलाम की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये–

1. सिविल कोर्ट नगीना, जिला बिजनौर।
2. कार्यालय तहसील, नगीना, जिला बिजनौर।
3. कार्यालय नगरपालिका परिषद नगीना, जिला बिजनौर।
4. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र।
5. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह नीलाम की सूचना एवं शर्तें जनपद न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

दि0–25.03.2026

(अनुपम सिंह प्रथम)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/अपर जिला जज,
नगीना, जिला बिजनौर।

## नीलाम की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए जनपद न्यायालय बिजनौर में स्थित फल एवं जूस विक्रय ठेला का ठेका नीलाम केन्द्रीय सभागार में दिनांक 25–03–2026 को सांय चार बजे किया गया था। किन्तु किसी भी बोलीदाता ने बोली नही लगायी। अतः वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए जनपद न्यायालय बिजनौर में स्थित फल एवं जूस विक्रय ठेला का ठेका नीलाम पुनः दिनांक 30–03–2026 को नीलाम केन्द्रीय सभागार में सांय 4:00 बजे किया जाएगा। नीलाम की शर्तें एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के मध्य केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय बिजनौर तथा जनपद न्यायालय की बेवसाइट **ecourts.gov.in/bijnor** पर प्राप्त की जा सकती है। नीलाम में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर कार्यवाही नीलाम में भाग ले सकते है।

नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति पहचान पत्र एवं पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो साथ लाये।

## नीलाम होने वाले ठेकों का विवरण।

1. फल एवं जूस विक्रय ठेला

दिनांक 26–03–2026

(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0–1 बिजनौर।

नीलाम की सूचना निम्नलिखित स्थानों पर सर्वसाधारण को सूचित करने हेतु चस्पा की जाये :–

1. कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बिजनौर।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर।
3. कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, बिजनौर।
4. कार्यालय तहसील सदर, बिजनौर।
5. कार्यालय नगर पालिका परिषद, बिजनौर।
6. कार्यालय जिला सूचना अधिकारी को वास्ते प्रकाशन निःशुल्क स्थानीय समाचार पत्र।
7. सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर जनपद न्यायालय, बिजनौर को इस आशय के साथ प्रेषित की वह नीलाम की सूचना एवं शर्तें जनपद न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

26-3-2026

(राम अवतार यादव)
अध्यक्ष नीलाम समिति
अपर जिला जज, कोर्ट
सं0 1 बिजनौर।

**वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सिविल कोर्ट परिसर नगीना में स्थित साईकिल स्टैण्ड की नीलामी की शर्तें निम्नलिखित है–**

1. साईकिल स्टैण्ड की सरकारी बोली अंकन 4,11,400/–रूपए (चार लाख ग्यारह हजार चार सौ रूपए) होगी।
2. ठेकेदार को स्टैण्ड का रख–रखाव स्वयं करना होगा।
3. वादकारियों से साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल खडी करने का शुल्क 5/–रूपए प्रतिसाईकिल, स्कूटर व मोटरसाईकिल खडे करने का शुल्क 10/–रूपए प्रति वाहन, तथा कार खडे करने का शुल्क 20/–रूपए प्रति कार उसी दिन के लिए होगा।
4. स्टाफ अधिवक्तागण एवं उसके मोहर्रिर से मासिक पास जारी करके 30/–रूपए प्रतिमाह साईकिल, 50/–रूपए प्रतिमाह स्कूटर व मोटरसाईकिल तथा 100/–रूपए प्रतिमाह कार से संबंधित ठेकेदार बसूल करेगा।
5. वाहन की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा।
6. अधिकतम बोली बोलने वाले ठेकेदार को नीलाम की आधी धनराशि तुरंत जमा करनी होगी तथा शेष आधी धनराशि दो किस्तों में क्रमशः दिनांक 30.9.2026 व 31.12.2026 को जमा करनी होगी। यदि उक्त धनराशि समयावधि के अंतर्गत जमा नहीं की जाती है तो इस अवशेष धनराशि की बसूली भू–राजस्व के रूप में की जायेगी तथा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. बोली बोलने वाले प्रत्येक आवेदक को 10 हजार रूपए जमानत की राशि अग्रिम रूप में जमा करनी होगी, जो कि ठेके की राशि में समायोजित हो जायेगी।
8. ठेकेदार स्टैण्ड को किसी अन्य ठेकेदार को नहीं देगा।
9. अधिकतम बोली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के बाद ही स्वीकृत मानी जायेगी। जिस व्यक्ति को बोली स्वीकृत होगी, उसको अपना एक नया फोटो एवं आई0डी0 देनी होगी।

**दिनांक–25–03–2026**

**(अनुपम सिंह प्रथम)**
**अध्यक्ष**
**नीलाम समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश**
**नगीना, जिला बिजनौर।**